कुमाऊँ विश्वविद्यालय, नैनीताल–263001(उत्तराखण्ड)

KUMAUN UNIVERSITY, NAINITAL, 263001 (UTTARAKHAND), INDIA

Office: 05942-236856 (Extn-328), Fax:05942235213

Email:caoresearchku@gmail.com & sriccku@gmail.com, Website:www.kunainital.ac.in

Research and Development Cell

No. KU/RDC/KUPPAT/2025-26/1301 Dated: 27 February 2026

सेवा में,

1.परिसर निदेशक
डी.एस.बी.परिसर नैनीताल/ सर जे.सी. बोस परिसर भीमताल, कुमाऊं विश्वविद्यालय, नैनीताल
2. समस्त संकायाध्यक्ष एवं विभागाध्यक्ष
डी.एस.बी.परिसर नैनीताल/ सर जे.सी. बोस परिसर भीमताल, कुमाऊं विश्वविद्यालय, नैनीताल
3. समस्त प्राचार्य/ निदेशक
सम्बद्ध राजकीय महाविद्यालय/ संस्थान
कुमाऊं विश्वविद्यालय, नैनीताल

विषय: कुमाऊं विश्वविद्यालय पी.एच.डी. प्रवेश परीक्षा 2025-26 (KUPPAT 2025-26) हेतु विभिन्न विषयों में पी.एच.डी. पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु रिक्त हुयी सीटों की सूचना पोर्टल के माध्यम से दिये जाने के संबंध में ।

महोदया/ महोदय

कुमाऊं विश्वविद्यालय शोध अध्यादेश 2023 (यथासंशोधित) के उपबंध 2 (साथ पढ़ें विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की विशेषज्ञ समिति की 578 वीं बैठक में की गयी संस्तुति) के अनुसार वर्ष 2025-26 में विभिन्न श्रेणियों में UGC-NET परीक्षा उत्तीर्ण अर्ह अभ्यर्थी एवं कुमाऊं विश्वविद्यालय शोध अध्यादेश 2023 (यथासंशोधित) में लिखित परीक्षा से छूट प्राप्त अभ्यर्थी सीधे साक्षात्कार के माध्यम से मेरिट के आधार पर कुमाऊं विश्वविद्यालय पी.एच.डी. प्रवेश परीक्षा 2025-26 (KUPPAT 2025-26) के माध्यम से विभिन्न विषयों में पी.एच.डी. पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु रिक्त हुयी सीटों के सापेक्ष प्रवेश किये जाने हैं ।

इस प्रक्रिया के माध्यम से अपने अन्तर्गत रिक्त सीटों को भरने के लिये इच्छुक योग्य शोध निर्देशकों की रिक्त सीटों की सूचना को अद्यतन किया जाना है । इस हेतु इस वर्ष पूर्व में दी गयी सभी रिक्त सीटों को निरस्त करते हुये नये सिरे से रिक्तियां मांगी जा रही हैं और कुमाऊं विश्वविद्यालय नैनीताल के पोर्टल (https://kuntl.net/rdet_vacancy/) को दिनांक 28.02.2026 10.00AM बजे से 06.03.2026 11.59PM बजे तक खोला जा रहा है ।

इस क्रम में दी जाने वाली रिक्त सीटों की सूचना निम्न प्रावधानों के अधीन ही स्वीकार्य की जाएंगी:

1. शोध निर्देशक के अन्तर्गत वर्तमान में भरी और वर्तमान में रिक्त कुल सीटों की संख्या कु.वि.वि. शोध अध्यादेश 2023 (यथासंशोधित) के उपबंध C(ii) के अनुरूप ही होनी चाहिये ।

2. शोध निर्देशक की वर्तमान नियुक्ति कु.वि.वि. शोध अध्यादेश 2023 (यथासंशोधित) के उपबंध K में वर्णित शोध केन्द्र में होनी अनिवार्य है ।

3. एक बार दी गयी रिक्तियां विश्वविद्यालय द्वारा प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण होने तक वापस लेना/ कम करना संभव नहीं होगा ।

4. रिक्त सीटों की संख्या संबंधित सूचना केवल उपर्युक्त पोर्टल के माध्यम से तय समय तक ही स्वीकार्य होंगी ।

कृपया उपरोक्त के संदर्भ में अनुरोध है कि सभी संबंधितों को इस सूचना को अपने-अपने स्तर पर शीघ्र अवगत कराने का कष्ट करें ।

निदेशक
शोध एवं विकास प्रकोष्ठ
कुमाऊं विश्वाविद्यालय, नैनीताल